

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.13(12)वित्त(नियम)/2021

जयपुर, दिनांक 08 SEP 2023

आदेश

विषय: राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों/विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं में, जहां CPF/EPF/NPS लागू थी या कोई भी योजना लागू नहीं थी, के संबंध में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने बाबत।

सन्दर्भ: वित्त (नियम) विभाग की अशा.टीप क्रमांक प.13(12)वित्त/नियम/2021 दिनांक 21.02.2023 एवं आदेश क्रमांक प.13(12)वित्त/नियम/2021 दिनांक 20.04.2023 (पेंशन 2/2023 एवं 3/2023), आदेश दिनांक 17-6-2023, 6-7-2023, 27-7-2023 तथा 25-8-2023।

वित्त विभाग द्वारा जारी संदर्भित आदेशों की निरन्तरता में विकल्प प्राप्त करने एवं निर्धारित राशि जमा कराने की अन्तिम तिथि 30-9-2023 तक बढ़ाई जाती है। संदर्भित आदेशों के साथ संलग्न विकल्प पत्रों में भी उक्त संशोधन लागू होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(रोहित गुप्ता)

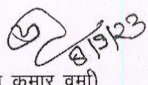
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव को भेज कर अनुरोध है कि उनसे संबंधित प्रशासनिक विभाग के अधीन आने वाले समस्त स्वायत्तशासी निकाय/बोर्ड/विश्वविद्यालय आदि में उपरोक्तानुसार आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
7. प्रशासनिक सुधार विभाग (युप - 7)
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
11. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर
12. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
13. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
15. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर


(सुरेश कुमार बर्मा)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(Pension 13 / 2023)

C:\Users\hp\Desktop\AutoNomous_Pension (SAR)\Order_SAB_NPS New.docx

1

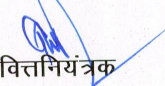
राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर

No: F. ()/RAJUVAS/COMP./2023-24 231

Dated : 13/9/2023

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, कुलपति, राजुवास, बीकानेर को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।
2. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/प्रभारी अधिकारी/मुख्य अन्वेषक/आहरण एवं वितरण अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक/कोषाधिकारी, राजुवास, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि वित्त विभाग के आदेशों की निरन्तरता में विकल्प प्राप्त करने एवं निर्धारित राशि जमा कराने की अन्तिम तिथि 30.09.2023 है।
3. प्रभारी अधिकारी, IUMS राजुवास, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश राजुवास की वेबसाइट पर अपलोड करावें।


वित्तनियंत्रक